



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



23 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 279 राँची, सोमवार,

13 मई, 2024 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

7 मई, 2024

पत्रांक:- ख०भू०(आरोप)-01/2020 -809--श्री सन्नी कुमार, सहायक खनन पदाधिकारी, तत्कालीन प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ, सम्प्रति प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के विरुद्ध उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-401/स्था०, दिनांक- 12.08.2022 द्वारा प्राप्त आरोपों के सम्बन्ध में जाँच प्रतिवेदन, एवं उक्त पर श्री कुमार से पृच्छित स्पष्टीकरण पर समर्पित जवाब तथा निदेशक, खान के पत्रांक- 1062, दिनांक-16.05.2023 द्वारा समर्पित मंतव्य- सह- प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा में जिला/अनुमण्डल/अंचल स्तर के पदाधिकारियों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं समन्वय स्थापित करने एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकों में लिए गए निर्णय/निदेशों के आलोक में खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर निषधात्मक कार्रवाई करने में श्री कुमार द्वारा अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता प्रमाणित होती है ।

2. उक्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर श्री कुमार पर प्रस्तावित "निन्दन" के दण्ड अधिरोपन पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा एवं उनके जवाब के सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सन्नी कुमार, सहायक खनन पदाधिकारी, तत्कालीन प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ, सम्प्रति प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के विरुद्ध "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

3. प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रनीता खलखो,
सरकार के उप सचिव ।
